रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092026-275929
CG-DL-E-02092026-275929

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4644] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 1, 2026/भाद्र 10, 1948
No. 4644] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 1, 2026/BHADRA 10, 1948

श्रम और रोजगार मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2026

का.आ. 4831(अ).—यतः, 'श्रम सुविधा पोर्टल' श्रम और रोजगार मंत्रालय (यहां इसके पश्चात 'मंत्रालय' के रूप में संदर्भित) द्वारा शुरू किया गया एक एकीकृत वेब-आधारित पोर्टल है, श्रम कानूनों के अनुपालन को सुव्यवस्थित करने और कार्य सुगमता में सुधार करने के लिए यह नियोक्ताओं तथा प्रवर्तन एजेंसियों के बीच संपर्क का एकल बिंदु है;

और यतः, पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का प्रयोग, व्यक्तियों को आसानी से और निर्बाध रूप से सहायिकी, प्रसुविधाएं और सेवाएं प्राप्त करने में समर्थ बनाता है, पहचान स्थापित करने के लिए बहुविध दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त करता है, प्रक्रियाओं को सरल बनाता है तथा पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देता है;

और यतः, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के साथ परामर्श के पश्चात, अपने दिनांक 20 अप्रैल, 2026 के पत्र ई-फाइल संख्या 13(16)/2022-ईजी-II द्वारा उक्त मंत्रालय को 'सुशासन के लिए आधार प्रमाणीकरण (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020' (यहां इसके पश्चात 'उक्त नियम' के रूप में संदर्भित) के नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए, आधार संख्या धारक की पहचान स्थापित करने के लिए प्रमाणीकरण के दौरान आधार संख्या का प्रयोग करने की अनुमति दी है; तथा आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकीयों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षिय परिदान) अधिनियम, 2016 (यहां इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' के रूप में संदर्भित है) की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 5 के अधीन इसे अधिसूचित करने की अनुमति प्रदान की है;

और यतः, उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार आधार प्रमाणीकरण का निष्पादन श्रम सुविधा पोर्टल पर मॉड्यूल के लिए प्रयोक्ता के विवरण के सत्यापन हेतु किया जाएगा (यहां इसके पश्चात 'उक्त उद्देश्य' के रूप में संदर्भित है), और उक्त उद्देश्य के लिए आधार प्रमाणीकरण का निष्पादन स्वैच्छिक होगा तथा मंत्रालय केवल हाँ/नहीं और/या ई-केवाईसी प्रमाणीकरण सुविधाओं का प्रयोग करके ही आधार प्रमाणीकरण का निष्पादन करेगा;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसरण में, और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित श्रम और रोजगार मंत्रालय की दिनांक 15 मई, 2026 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2523(अ), को अधिक्रांत करते हुए, सिवाय उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई हैं या करने का लोप किया गया है, उक्त मंत्रालय एतद्वारा निम्नलिखित को अधिसूचित करता है, अर्थात्:—

(क) मंत्रालय, अधिनियम में उपबंधित किए गए अनुसार, इस अधिसूचना के अधीन प्रमाणीकरण के प्रयोजन से आधार संख्या धारक की सहमति प्राप्त करेगा;

(ख) उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (2) के अनुसार, आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक होने के कारण, मंत्रालय आधार संख्या धारक को पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधनों के बारे में सूचित करेगा तथा आधार प्रमाणीकरण को अस्वीकार करने या उसमें असमर्थ होने के कारण आधार संख्या धारक को किसी भी सेवा से वंचित नहीं करेगा, अर्थात्:—

(i) मतदाता पहचान पत्र;

(ii) पैन कार्ड;

(iii) ड्राइविंग लाइसेंस;

(iv) पासपोर्ट;

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की दिनांक से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. जेड-20025/04/2026-एसएसपी]

अजय शर्मा, अपर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2026

S.O. 4831(E).—Whereas**,** the Shram Suvidha Portal is a unified web-based portal launched by the Ministry of Labour and Employment (hereinafter referred to as the Ministry) to streamline labour law compliance and improve the ease of doing business, it is a single point of contact between employers and enforcement agencies;

And whereas, the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services conveniently and seamlessly, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency;

And whereas, the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, after consultation with the Unique Identification Authority of India (UIDAI), *vide* its letter eF. No. 13(16)/2022-EG-II, dated 20th April, 2026, allowed the said Ministry, for the purposes specified under sub-rule (1) of rule 3 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 (hereinafter referred to as the said rules), to perform authentication and be permitted the use of Aadhaar number during authentication for establishing identity of the Aadhaar number holder and to notify the same under rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Aadhaar authentication shall be performed for verification of user details for modules on the Shram Suvidha Portal (hereinafter referred to as the said purpose) as specified under sub-rule (1) of rule 3 of the said rules, and the performance of Aadhaar authentication for the said purpose shall be voluntary and the Ministry shall perform the Aadhaar authentication only using Yes/No and/or eKYC authentication facilities;

Now, therefore, in pursuance of rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the said Act and in supersession of the notification of the Ministry of Labour and Employment number S.O.2523(E) dated the 15th May, 2026 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the said Ministry hereby notifies the following, namely: —

a. the Ministry, as provided in the Act, shall obtain the consent of the Aadhaar number holder for the purpose of authentication under this notification;

b. as per sub-rule (2) of rule 3 of the said rules, Aadhaar authentication being voluntary, the Ministry shall inform the Aadhaar number holder of alternate and viable means of identification and shall not deny any service to the Aadhaar number holder for refusing to, or being unable to, undergo Aadhaar authentication, namely: —

   i. Voter ID Card;

   ii. PAN Card;

   iii. Driving License;

   iv. Passport;

2. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. Z-20025/04/2026- SSP]

AJOY SHARMA, Addl Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR Digitally signed by VINOD KUMAR Date: 2026.09.02 13:36:50 +05'30'